RAJASTHAN MEDICAL SERVICES CORPORATION RMSC
।।सर्वे सन्तु निरामयाः।।
(Government of Rajasthan undertaking)

राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम

स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी–स्कीम, जयपुर 302005

फोन नः 0141–2228066, फैक्स नः 0141–2228065 ई–मेल : mdrmsc@nic.in

CIN:U24232RJ2011SGC035067 Website: www.rmsc.health.rajasthan.gov.in

क्रमांक : प.05(पीएफ) / आरएमएससी / क्यू.सी. / 2024-25 / 946 दिनांक : 03/07/2024

आदेश

M/s MECCA INDUSTRIES, 99, G.I.D.C. Kalol -382725 से निविदा क्रमांक Tender F.02 (111)/ RMSCL / Proc./ Surgical (Non-Drug)/NIB-23/2021/738 दिनांक 10.12.2021 के तहत् सर्जिकल आईटम Urine Collecting Bag, Disposable 2000 ml [S40] की आपूर्ति हेतु दर अनुबन्ध किया गया था। दर अनुबन्ध के आधार पर फर्म को उक्त आईटम सप्लाई करने हेतु क्रय आदेश क्रमांक – 6189 दिनांक 30.01.2023, 1340 दिनांक 20.05.2023 जारी किये गये थे।

उक्त क्रय आदेशों की पालना में सप्लाई किए गए सर्जिकल आईटम को आरएमएससी की पंजीकृत प्रयोगशाला द्वारा जाँच कराये जाने पर सर्जिकल आईटम के बैचेज (U-445,U-451, 5 ,6) को Leakage test में फेल होने पर अमानक कोटि के पाए गए।

आरएमएससी की गुणवत्ता नीति के अनुसार नमूने की पुनः जाँच कराई गई । राजकीय अनुमोदित पंजीकृत प्रयोगशालाओं से सर्जिकल आईटम के बैच (U-445, U-451, 5 ,6) की रिपोर्ट प्राप्त होने पर प्रकरण को अनुशासनात्मक समिति की बैठक दिनांक 22.05.2024 में रखा गया। फर्म को सुनवाई के लिये अवसर दिया गया। निगम की अनुमोदित प्रयोगशालाओं मे 3 मे से 2 प्रयोगशालाओ द्वारा उक्त सर्जिकल आईटम के बैचेज (U-445, U-451, 5 ,6) को अमानक कोटि का घोषित किया है। फर्म द्वारा अमानक कोटि के आईटम की आपूर्ति की गई है जो कि औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं मेडिकल डिवाइस रूल्स 2017 के प्रावधानों के तहत Not of Standard Quality की श्रेणी में हैं।

निविदा की शर्त संख्या 19(3) के उल्लंघन के दोषी होने के कारण विवर्जन संबन्धी दिशा-निर्देशो (Guidelines for Blacklisting/Debarring) के सम्बन्ध मे जारी निर्देश क्रमांक F.5/RMSC/QC/Test/2018-19/952 दिनांक 28/08/2018 के क्लॉज 4.5(1) के तहत निगम की अनुशासनात्मक समिति की अनुशंषा के आधार पर निर्माता फर्म M/s MECCA INDUSTRIES, 99, G.I.D.C. Kalol (N.G.) 382725 की औषधि Urine Collecting Bag, Disposable 2000 ml [S40] को यह आदेश जारी करने की तिथि से 01 (एक) वर्ष के लिए ब्लैकलिस्ट (Blacklist) किया जाता है। उपरोक्त कार्यवाही पूर्व में जारी किये गये क्रयादेश / क्रय की गई अथवा रीप्लेसमेन्टशुदा प्रश्नगत आईटम, जो गुणवत्ता के मानकों के अनुरूप पाई जाती हैं, पर बिना कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले की गई है।

नेहा गिरि
आई.ए.एस
प्रबन्ध निदेशक

RajKaj Ref
8464660

Signature valid

Digitally signed by Neha Giri
Designation: Managing Director
Date: 2024.07.02 17:06:54 IST
Reason: Approved

क्रमांक : प.05(पीएफ)/आरएमएससी/क्यू.सी./2024-25/946 दिनांक : 03/07/2024

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. अतिरिक्त मुख्य सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. मिशन निदेशक,एन.एच.एम. राजस्थान, जयपुर।
4. निदेशक,पी.एच/आर.सी.एच./एच.ए/ए.आई.डी.एस./एम.एस.यू. चिकित्सा एवं स्वा. निदेशालय, राजस्थान, जयपुर।
5. औषधि महानियंत्रक, भारत, नई दिल्ली।
6. औषधि नियंत्रक, राजस्थान/गुजरात।
7. निजी सहायक, प्रबन्ध निदेशक, आर.एम.एस.सी.।
8. विशेषाधिकारी, आर.एम.एस.सी.।
9. कार्यकारी निदेशक (प्रोक्योरमेन्ट)/वित्त/एल/ई.पी.एम एवं अति.नि. (आई.टी) आर.एम.एस.सी.।
10. समस्त प्रभारी अधिकारी, जिला औषधि भण्डार, राजस्थान।
11. M/s MECCA INDUSTRIES, 99, G.I.D.C. Kalol -382725
12. आदेश पत्रावली।

प्रबन्ध निदेशक

RajKaj Ref
8464660

Signature valid

Digitally signed by Neha Giri
Designation : Managing Director
Date: 2024.07.02 17:06:54 IST
Reason: Approved